पिछड़े क्षेत्र

1096. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1966–67 और 1967–68 की उनकी बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्राक्कलन तथा उनकी योजनाओं के लक्ष्यों, संसाधनों तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं सम्बन्धी ज्ञापन पेश किये जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह तिथि क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). योजना आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के पत्र में राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे विदेशी मुद्रा संगठकों और एक छोटा ज्ञापन जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रगति का पर्यवेक्षण हो सहित चौथी योजना के प्रस्ताव एवं 1967–68 के लिए सालाना योजना प्रस्ताव 30 सितम्बर, 1966 तक भेज दें ।

पिछड़े क्षेत्र

1097. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे राज्य जहां अनेक पिछड़े क्षेत्र हैं और जिनके कारण वे योजना आयोग द्वारा दिये गये महत्व के अनुसार अपने संसाधन नहीं जुटा सकते, केन्द्रीय सरकार द्वारा धन के नियतन के मामले में विकसित राज्यों के बराबर माने जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य, जिनमें अनेक पिछड़े क्षेत्र हैं, धन के अभाव के कारण उन क्षेत्रों का विकास कैसे कर सकेंगे और देश का संतुलित विकास कैसे सम्भव होगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए व्यय व्यवस्था तथा साधनों का नियतन करते हुए अनेक बातों में से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। इसका ब्यौरा चौथी योजना पर योजना आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन में दिया जायेगा ।

विदेशी मुद्रा

1098. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध, जो भारत से विदेशों को जाने वाले व्यक्तियों पर लगाये हुए हैं, वे सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों और संसद सदस्यों पर भी लागू होते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों और संसद सदस्यों को विदेश यात्राओं के लिये उपलब्ध होने वाली विदेशी मुद्रा की धनराशि और 1965–66 के दौरान तथा 1966–67 के नौ महीनों के दौरान उनकी विदेशी यात्राओं पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा की राशि का विवरण दिखाने